"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2020—वैशाख 25, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 1-06/2018/दो-गृह/भापुसे (पार्ट).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सूरज सिंह (भापुसे-2015), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पुलिस), जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पुलिस अधीक्षक, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-04 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री डी. के. गर्ग, भापुसे (2007)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर.	सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर.
2.	श्री सुनील शर्मा भापुसे (2017)	सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर	नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-02/2020/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. एल. ध्रुव (भापुसे 2008), सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली-सूरजपुर, छ.ग. को दिनांक 16-01-2020 से 30-01-2020 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. ध्रुव (भापुसे), सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली-सूरजपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ध्रुव (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री के. एल. ध्रुव (भापुसे 2008), सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली-सूरजपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. के. सिंह, (रापुसे), उप सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली-सूरजपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-12/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. के. गर्ग (भापुसे 2007), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं, डायल-112, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 28-01-2020 से 07-02-2020 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 08 एवं 09 फरवरी 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. गर्ग (भापुसे 2007), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं, डायल-112, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री डी. के. गर्ग (भापुसे 2007), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं, डायल-112, रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धर्मेन्द्र सिंह छावई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डायल-112, रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-26/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे 2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो.प्र./तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. को दिनांक 15-01-2020 से 22-01-2020 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव (भापुसे), आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो.प्र./तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे 2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो.प्र./तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2020

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक-3717/भू-अर्जन/2020.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी	4.18 एकड़	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-02-2020 को समय 12.00 बजे स्थान पंचायत भवन कनबेरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3179.12 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय निस्तार एवं भू-जल संवर्धन इत्यादि होगा. परियोजना से कुल 03 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना के कुल 03 ग्राम में जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेयजल की समस्या हल होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक/2957/05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पलसदा प.ह.नं. 40	2.933	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक/2959/13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर प.ह.नं. 39	5.157	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक/2961/04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिरहाभाँठा प.ह.नं. 40	0.080	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक/2963/09/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भैंसामुहान प.ह.नं. 39	2.585	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2020

क्रमांक/548/स्थापना/रा.मं./2020.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 68-69/स्थापना/रा.मं./2020, बिलासपुर दिनांक 12-2-2020 को अतिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7, 8 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण —

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा. समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य प्रकरण.

(स) आबकारी अधिनियम एवं स्टांप शुल्क अधिनियम से संबंधित लंबित एवं नये प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के द्वारा की जायेगी.

(द) **स्थगन आवेदन पत्र—**

अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.

(इ) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. द्वारा संपूर्ण छ.ग. कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात का होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई किया जा सकता है.

(ई) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है —

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु स्थगन
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय बुधवार एवं गुरूवार. 2. सर्किट कोर्ट रायपुर सामान्यत: द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार एवं बुधवार.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यत: माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मगंलवार एवं बुधवार. 2. सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.

(उ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(ऊ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

(ए) उपरोक्त न्यायालयीन दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो, तो शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

हस्ता./-
अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 52/L.G./2019/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, the then Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 08-04-2019 to 12-04-2019 along with permission to remain out of headquarters from 07-04-2019 to 14-04-2019 and earned leave for 04 days from 24-07-2019 to 27-07-2019 along with permission to remain out of headquarters from 24-07-2019 to 28-07-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 192 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 53/L.G./2019/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, the then District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 04 days from 08-04-2019 to 11-04-2019 along with permission to remain out of headquarters after working hours of 06-04-2019 till 11-04-2019 and earned leave for 05 days from 16-08-2019 to 20-08-2019 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 15-08-2019 till the morning of 21-08-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 190 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 54/L.G./2019/II-3-38/2007.—Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 02-09-2019 to 04-09-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 55/L.G./2019/II-2-6/2007.—Shri Nirmal Minj, the then District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 04 days form 16-05-2019 to 19-05-2019 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 15-05-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 56/L.G./2019/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 03 days from 21-08-2019 to 23-08-2019 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 258 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 57/L.G./2019/II-02-7/2017.—Shri Anand Kumar Singhal, District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-08-2019 to 23-08-2019 along with permission to remain out of head-quarters from 17-08-2019 to 25-08-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 310 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 58/L.G./2019/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 11-09-2019 to 13-09-2019 along with permission to leave headquarters from 10-09-2019 to 15-09-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 264 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 59/L.G./2019/II-2-12/2008.—Shri Bhuneshwar Ram, Judge, the then Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 08 days from 03-05-2019 to 10-05-2019 along with permission to remain out of headquarters from 03-05-2019 to 12-05-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ram, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 60/L.G./2019/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, District & Sessions judge, Mungeli is hereby, granted earned leave for 09 days from 23-08-2019 to 31-08-2019 along with permission to leave headquarters from the night 10.00 p.m. of 22-08-2019 till 31-08-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 61/L.G./2019/II-2-38/2018.—Shri Shahabuddin Qureshi, Central Project Co-ordinator-cum I/c Registrar (Computerization), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 06 days from 02-09-2019 to 07-09-2018 along with permission to leave headquarters.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 62/L.G./2019/II-3-43/2007.—Shri Rajendra Pradhan, the then District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 07 days from 10-05-2019 to 16-05-2019 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 09-05-2019 till before the office hours of 17-05-2019, commuted leave for 15 days from 17-06-2019 to 01-07-2019 along with permission to remain out of headquarters from 27-06-2019 to 01-07-2019 and commuted leave for 07days from 03-08-2019 to 09-08-2019.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately befor proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave & 398 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 63/L.G./2019/II-2-12/2008.—Shri Bhuneshwar Ram, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 03 days from 26-08-2019 to 28-08-2019 along with permission to remain out of headquarters from 24-08-2019 to 28-08-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ram, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 64/L.G./2019/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, the then Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby, granted eanred leave for 05 days from 08-04-2019 to 12-04-2019 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 06-04-2019 till 14-04-2019 and eanred leave for 04 days from 22-07-2019 to 25-07-2019 along with permission to remain out of headquarters from 20-07-2019 till 25-07-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 65/L.G./2019/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, the then Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 08 days from 15-06-2019 to 22-06-2019 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters from 15-06-2019 to 23-06-2019 and earned leave for 10 days from 18-07-2019 to 27-07-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 66/L.G./2019/II-2-97/2007.—Shri Suresh Kumar Soni, the than Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted commuted leave for 24 days from 01-04-2019 to 24-04-2019.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as afforementioned.

Certified that if Shri Soni, had not proceded on leave as aformentioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 353 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 67/L.G./2019/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 08-07-2019 to 12-07-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2019

No. 68/L.G./2019/II-3-4/2014.—Shri Hemant Saraf, the then District & Sessions Judge, Kanker is hereby, granted earned leave for 06 days from 30-05-2019 to 04-06-2019 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters from 18-05-2019 to 04-06-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 206 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.)

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 218/दो-3-4/2008.—श्री नीलम चंद सांखला, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 219/दो-2-21/2006.—श्री दीपक कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 220/दो-3-2/2006.—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 221/दो-3-40/2010.—श्री विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्रमांक 222/दो-3-7/2015.—श्री संतोष शर्मा, रजिस्ट्रार (चयन एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्रमांक 223/दो-3-34/2008.—श्री संजय कुमार जायसवाल, रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.